न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राजस्थान

प्रकरण संख्या 07 / 24 दायरा दिनांक 09.07.2024

पीठासीन अधिकारी – श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

1–बृजमोहन पुत्र भंवरलाल जाति किराड निवासी कस्बानौनेरा तह0 शाहावाद जिला–बारां
2–मांगीलाल पुत्र भंवरलाल जाति किराड निवासी कस्बानौनेरा तह0 शाहावाद जिला–बारां
प्रार्थीगण

बनाम

1–मांगीलाल पुत्र जगन्नाथ जाति ओझा निवासी कस्बानौनेरा तह0 शाहावाद जिला–बारां
2–कैलाश पुत्र जगन्नाथ जाति ओझा निवासी कस्बानौनेरा तहसील शाहावाद जिला–बारां
3–अशोक पुत्र जगन्नाथ जाति ओझा निवासी कस्बानौनेरा हाल वीर तेजा स्कूल के पीछे केलवाडा तहसील शाहावाद जिला बारां
अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर0टी0एक्ट 1955

निर्णय दिनांक– 01.05.2025

उपस्थित, प्रार्थीगण की ओर से – श्री कुवेरसिंह यादव एडवोकेट
अप्रार्थीगण की ओर से –एकपक्षीय

प्रार्थीगण की ओर से यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर अपने खाते की आराजी ख0नं0 310 रकबा 8.12 बीघा ग्राम कस्बानौनेरा तहसील शाहावाद पर आने–जाने के लिये 12 फिट चौडा रास्ता अप्रार्थीगण की खातेशुदा भूमि ख0नं0 314 रकबा 3.18 बीघा ग्राम कस्बानौनेरा तहसील शाहावाद की पूर्वी मेढ से दिलाये जाने बावत प्रस्तुत किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण के विरूद्व बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर दिनांक 04.03.2025 को एकपक्षीय सुनवाई के आदेश किये गये। तहसीलदार शाहावाद से मौके की रिपोर्ट मंगाई गई। प्रार्थीगण की एकपक्षीय वहस सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थीगण द्वारा अपने खाते की भूमि ख0नं0 314 रकबा 3.18 बीघा ग्राम कस्बानौनेरा तहसील शाहावाद पर आवाजाही के लिये अन्य कोई रास्ता नहीं होने का कथन करते हुये अप्रार्थीगण के खाते की भूमि ख0नं0 314 रकबा 3.18 बीघा ग्राम कस्बानौनेरा तहसील शाहाबाद की पूर्वी मेढ से 12 फीट चौडाई का रास्ता दिये जाने का निवेदन किया गया है। इस संदर्भ में पत्रावली पर उपलब्ध नक्शा अनुसार आराजी ख0नं0 310 पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है ख0नं0 से आम रास्ता लगा हुआ है, जो प्रार्थीगण की आराजी से सटा है। तहसीलदार शाहाबाद द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 30.04.2025 अनुसार भी ख0नं0 310 रकबा 8.12 बीघा पर आने जाने के लिये अन्य कोई रास्ता नहीं है तथा प्रार्थीगण द्वारा वांछित रास्ता सबसे नजदीकी रास्ता होना बतलाया है। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी को अपने ख0नं0 310 पर आने जाने के लिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.06.18 13:44:18 IST
Reason: SelfAttested

01.05.2025
उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारां (राज.)

अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है और सबसे सुगम रास्ता ख0नं0 314 से दिया जाना प्रस्तावित है। रिपोर्ट अनुसार उक्त रास्ता दिये जाने पर अप्रार्थीगण की खातेशुदा भूमि ख0नं0 314 रकबा 3.18 बीघा में से 4X60 कुल 240 वर्गमीटर भूमि रास्ते के रूप में दिया जाना प्रस्तावित किया गया है, जिसकी निर्धारित डी.एल.सी. दर अनुसार दोगुनी कीमत 61,500 रूपये आकलन की गई है।

धारा 251–A में वर्णित प्रावधान अनुसार किसी अभिधारी या अभिधारियों के किसी समूह को अपनी जोत या, यथास्थित, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिये अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग प्राप्त करने के लिये आवेदक को निम्न दो तथ्यों को साबित करना आवश्यक है –

(1) वांछित मार्ग केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये नहीं है।

(2) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है।

उक्त दोनो बिन्दुओं को प्रार्थीगण प्रमाणित करने में सफल रहे हैं।

अतः उक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र धारा 251ए राज0 काश्त0 अधिनियम न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को ग्राम कस्बानौनेरा तहसील शाहावाद स्थित आराजी ख0नं0 310 रकबा 8.12 बीघा पर आने जाने के लिये अप्रार्थीगण की खातेशुदा आराजी ख0नं0 314 रकबा 3.18 बीघा ग्राम कस्बानौनेरा में से पूर्वी मेढ के सहारे 12 फिट चौडा रास्ता प्रदान किया जाता है। तहसीलदार शाहावाद द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थीगण की खातेशुदा आराजी ख0नं0 314 रकबा 3.18 बीघा में से पूर्वी मेढ के सहारे लम्बाई 60 मीटर X चौडाई 4 मीटर कुल 240 वर्गमीटर भूमि की वर्तमान डी.एल.सी. दर मुताबिक दोगुनी राशि 61,500 रूपये प्रार्थीगण से प्राप्त कर बतौर प्रतिकर नियमानुसार अप्रार्थीगण को अदा की जावे तथा बाद अदायगी प्रतिकर राशि तहसीलदार शाहावाद उपरोक्तानुसार आराजी ख0नं0 314 रकबा 3.18 बीघा में से पूर्वी मेढ के लगवां लम्बाई 60 मीटर X चौडाई 4 मीटर कुल 240 वर्गमीटर भूमि को राजस्व अभिलेख में "रास्ता" के रूप में दर्ज करें। रास्ता के रूप में प्रदत्त उक्त भूमि पर प्रार्थीगण आने जाने के अलावा अन्य कोई हक अधिकार अर्जित नहीं कर सकेंगे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 01.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

01-05-2025

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारां (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.06.18 13:44:18 IST
Reason: SelfAttested